भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2836

उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

बुधवार, 21 श्रावण, 1948 (शक)

उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण

2836#.श्री मिथलेश कुमार:

श्रीमती रेखा शर्मा:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा:

श्री कणाद पुरकायस्थ:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएपीएस-2 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करने तथा सेवा क्षेत्रों में शिक्षुता के अवसरों का विस्तार करने के लिए क्या विशेष पहल की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार ने देश भर में शिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) शुरू की थी। 2022-23 से यह स्कीम एनएपीएस-2 के रूप में जारी है।

शिक्षुता प्रशिक्षण वास्तविक कार्य वातावरण में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रौद्योगिकी कंपनियों सहित भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यावहारिक शिक्षा और उद्योग का अनुभव प्राप्त होता है।

उद्योगों और प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए, शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत भागीदार प्रतिष्ठानों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह स्कीम राष्ट्रीय शिक्षुता पोर्टल (www.apprenticeshipindia.gov.in)

के माध्यम से उद्योग-नेतृत्व वाले, कार्यस्थल-आधारित प्रशिक्षण को सुगम बनाती है, साथ ही क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालयों (आरडीएसडीई), राज्य शिक्षुता सलाहकारों (एसएए) और पैनलबद्ध तृतीय पक्ष एग्रीगेटरों (टीपीए) से भी सहायता प्राप्त करती है।

देश भर में उद्योग-अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक विनियामक के रूप में की गई है।

ii. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ संरेखित करें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

iii. संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।

iv. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

v. पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को खासकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

vi. डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

vii. राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

viii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ अधिक एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है और अकादमिक और व्यावसायिक मार्गों के बीच सुगम गतिशीलता को बढ़ावा दिया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करता है और उद्योग-संबंधित कौशल प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है।

ix. प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए नियोजन और शिक्षुता के अवसरों को सुगम बनाने के लिए कौशल मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए जाते हैं।

(ख) एनएपीएस के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. देश भर में एनएपीएस-2 का कार्यान्वयन, जिसमें पात्र प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान की जाएगी।
2. प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में सरकारी वजीफा सहायता की सीधी राशि जमा करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम शुरू की गई है।
3. राष्ट्रीय शिक्षुता पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डिजिटलीकरण।
4. तृतीय पक्ष एग्रीगेटरों (टीपीए) के माध्यम से शिक्षुता कार्यक्रमों में भागीदारी को सुगम बनाना।
5. युवाओं को जुटाने और उद्योग जगत की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेलों (पीएमएनएएम) का आयोजन।
6. निर्धारित और वैकल्पिक ट्रेडों में शिक्षुता के अवसरों का विस्तार।
7. शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।

(ग) एनएपीएस-2 के तहत, भारत सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के माध्यम से पात्र प्रशिक्षुओं को वजीफा सहायता प्रदान करती है। सरकार का हिस्सा संस्थान द्वारा भुगतान किए गए वजीफे के 25% तक सीमित है, जो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति प्रशिक्षु प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपए तक सीमित है। वजीफा सहायता सीधे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।

एनएपीएस-2 के तहत डीबीटी के माध्यम से पूरे देश में संवितरित वजीफा राशि में सरकार के हिस्से का ब्यौरा **अनुबंध की तालिका-I** में दिया गया है।

(घ) शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षुता के अवसरों का विस्तार करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम विनिर्माण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आतिथ्य, आईटी-आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेवा क्षेत्रों जैसे विविध क्षेत्रों में महिलाओं सहित प्रशिक्षुओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

सरकार नियमित रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन देश भर में करती है, जिसमें प्रत्येक राज्य के एक तिहाई जिलों में हर महीने युवाओं, विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, राज्यों, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालयों (आरडीएसडीई), राज्य शिक्षुता सलाहकारों (एसएए), उद्योगों और तृतीय-पक्ष एग्रीगेटरों (टीपीए) के साथ हितधारकों की बैठकों के दौरान, सभी क्षेत्रों में महिला शिक्षुता की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है।

शिक्षुता के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, शिक्षु अधिनियम, 1961 में 2014 में संशोधन किया गया ताकि वैकल्पिक ट्रेडों को शामिल किया जा सके, जिससे उद्योगों को अपनी विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षुता कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिल सके।

यह स्कीम महिला प्रशिक्षुओं सहित सभी प्रशिक्षुओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल प्रशिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती है। शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 14 के तहत, प्रशिक्षुओं को कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 के तहत श्रमिकों पर लागू होने वाले संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षु नियमित कर्मचारियों के समान कार्यस्थल सुरक्षा उपायों, कल्याण सुविधाओं और सुरक्षात्मक प्रावधानों के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षु कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के अंतर्गत भी आते हैं। साथ ही, शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 15 कार्य घंटों और अवकाश प्रावधानों को विनियमित करती है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रशिक्षुओं को संस्थान के सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं के लिए कार्य घंटे आमतौर पर सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच सीमित होते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां संबंधित प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल शिक्षुता में महिला प्रशिक्षुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016-17 में 7.74% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24.95% हो गई है, जो एनएपीएस के तहत नीतिगत हस्तक्षेपों के सकारात्मक प्रभाव और सेवा क्षेत्र के ट्रेडों में शिक्षुता के अवसरों के विस्तार को दर्शाती है।

अनुबंध

"उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण" के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2836 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तालिका-I

एनएपीएस-2 के तहत डीबीटी के माध्यम से देश भर में संवितरित वजीफा राशि में सरकार के हिस्से का ब्यौरा नीचे दिया गया है। **(करोड़ रुपये में)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.03	0.05	0.03	0.01	0.12
2.	आंध्र प्रदेश	11.35	18.32	21.97	7.57	59.21
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.24	0.37	0.07	0.82
4.	असम	4.81	5.05	10.31	2.28	22.45
5.	बिहार	15.59	24.48	26.74	9.03	75.84
6.	चंडीगढ़	0.24	0.33	0.41	0.16	1.14
7.	छत्तीसगढ	2.8	3.87	4.45	1.49	12.61
8.	दिल्ली	4.47	9.14	12.19	3.91	29.71
9.	गोवा	0.78	1.28	1.51	0.44	4.01
10.	गुजरात	14.34	27.31	29.24	9.6	80.49
11.	हरियाणा	6.98	10.62	10.64	3.55	31.79
12.	हिमाचल प्रदेश	3.43	4.61	4.65	1.67	14.36
13.	जम्मू और कश्मीर	0.4	0.8	1.02	0.28	2.5
14.	झारखंड	8.13	13.58	14.17	4.47	40.35
15.	कर्नाटक	20.11	32.9	35.08	10.69	98.78
16.	केरल	5.93	10.77	10.64	3.19	30.53
17.	लद्दाख	0	0	0.01	0	0.01
18.	लक्षद्वीप	0	0.01	0.01	0	0.02
19.	मध्य प्रदेश	11.99	21.49	23.98	7.28	64.74
20.	महाराष्ट्र	85.32	117.35	121.5	37.07	361.24
21.	मणिपुर	0.28	0.61	1.56	0.29	2.74
22.	मेघालय	0.19	0.28	1	0.22	1.69
23.	मिजोरम	0.13	0.19	0.67	0.13	1.12
24.	नागालैंड	0.12	0.29	0.58	0.11	1.1
25.	ओडिशा	10.73	13.45	15.94	4.75	44.87
26.	पुदुचेरी	0.55	1.13	1.4	0.41	3.49
27.	पंजाब	2.69	4.05	5.33	2.05	14.12
28.	राजस्थान	5.99	9.78	13.22	4.63	33.62
29.	सिक्किम	0.09	0.2	0.43	0.11	0.83
30.	तमिलनाडु	38.05	59.49	64.47	19.43	181.44
31.	तेलंगाना	5.77	8.77	10.21	3.67	28.42
32.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	0.27	0.56	0.72	0.24	1.79
33.	त्रिपुरा	0.34	0.5	0.96	0.22	2.02
34.	उत्तर प्रदेश	43.3	70.22	86.59	27.64	227.75
35.	उत्तराखंड	6.2	9.01	10.51	3.71	29.43
36.	पश्चिम बंगाल	15.63	19.42	24.76	8.5	68.31
	कुल	**327.17**	**500.15**	**567.27**	**178.87**	**1573.46**

नोट: एनएपीएस-2 के तहत डीबीटी आधारित वजीफा सहायता जुलाई 2023 से शुरू हुई।

*****